फर्द अहकाम

आशुमी बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 50/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	2/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन थी। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा. पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से किया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैफियत दर्ज होकर नियम में कार्य के बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।
		(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-ज

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
50/2021	03/03/2021	02/08/2024

...गुती पत्नि भगवान सहाय जाति मीना निवासी श्रीरामगोपालपुरा, तहसील जमवारामगए, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर। (हाल तहसील आंधी)

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्तीकरण अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीरामगोपालपुरा पटवार हल्का नीमला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 155/1 रकबा 5 बीघा भूि हाल नवीन खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2500है0, खसरा नम्बर 216/245 रकबा 0.0100है0 गै0मु0चाह अनुसार प्रार्थी के खातेदारी अनुसार स्थित है। जिसको प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र खरीद करते हुए खातेदारी प्राप्त कर रखा है। जिसके राजस्व नक्शें में हाल सैटलमेंट कार्यवाही मे कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी के विरूद्व तथा हाल सेटलमेंट कार्यवाही में साबिक राजस्व नक्शें व प्रार्थी के मौके कब्जे के विपरित त्रुटिपूर्ण नवीन नक्शा तरमीम होने से आगे वादग्रस्त भूमि है। दौराने सैटलमेंट कार्यवाही में सैटलमेट अधिकारीयों द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2500है0 का कायम नवीन राजस्व नक्शें की त्रुटिपूर्ण तरमीम करते हुए साबिक खसरा नम्बर 155/1 के नक्शें व प्रार्थी के मौके कब्जे के विरूद्व त्रुटिपूर्ण व भिन्न तरमीम कर दिया गया, जिसमें प्रार्थी खातेदार के साबिक खसरा नम्बर 155/1 अनुसार विवादित राजस्व नक्शें की पूर्व दिशा की भूमि को खसरा नम्बर 217 के राजस्व नक्शें में शामिल करते हुए तरमीम कर दिया गया, जिससे प्रार्थी वादी की पूर्व दिशा की खातेदारी भूमि वर्तमान में 217 के राजस्व नक्शें अनुसार त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित व तरमीम हो रखी है। मुताबिक सेटलमेंट मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2500है0 एवं खसरा नम्बर 216/245 रकाब 0.01है0 साबिक खसरा नम्बर 155/1 रकबा 5 बीघा से बने है। जो कि प्रार्थी की भूमि का साबिक नक्शा एवं वर्तमान नक्शा पूर्णतया भिन्न एवं रकबा बरारी के विपरित त्रुटिपूर्ण तरमीम है तथा प्रार्थी के नवीन खसरा नम्बर 216 के नक्शें में दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 217 के साबिक नक्शें की भूमि को शामिल कर दिया गया, जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में साबिक खसरा नम्बर 155 की भूमि रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आ रही है। प्रार्थी का अपने खातेदारी के साबिक राजस्व नक्शें अनुसार कब्जा चला आ रहा है जिसका प्रार्थी को विधिक अधिकार है। सैटलमेंट विभाग को उक्त प्राकर से त्रुटिपूर्ण तरमीम कर व प्रार्थी की भूमि को कम करके खसरा नम्बर 117 के नक्शें मं तरमीम करने का अधिकार नही रहा है, जो कि साबिक राजस्व नक्शें अनुसार प्रार्थी के वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला ...

नवीन खसरा नम्बर 216 के राजस्व नक्शों में खातेदारी के रकबा बरारी पूर्व नक्शें अनुसार तरमीम कायम कराने का अधिकारी है। अतः ग्राम श्रीरामगोपालपुरा में स्थित वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 216 के वर्तमान राजस्व नक्शें को साबिक खसरा नम्बर 155/1 के राजस्व नक्शें व खातेदारी के रकबा बरारी अनुसार पुनः तरमीम करने एवं गै0मु0चाह खसरा नम्बर 216/245 को मौका स्थिति अनुसार तरमीम करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार खसरा नम्ब 216, 217, 216/245 के राजस्व नक्शे को दुरूस्तीकरण करने के आदेश तहसीलदारा को दिया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/. आर.ए./2021/561 दिनांक 23.11.21 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि गत खसरा नमबर 155/1 की तरमीम एवं रकबा से भिन्न हाल नक्शें में तरमीम करते हुए खसरा नम्बर 155 का भाग 155/1 में बढांकर तरमीम की है तथा रकबा भी 1.25है0 से कम करके 0.84है0 ही कर दिया है। जिससे वादग्रिा को 0.41है0 रकबा की कमी होती है। नवीन नक्शें में खसरा नम्बर 216 व 217 की रकबा बरारी करते पर खसरा नम्बर 216 का रकब्रा 0.84है0 है तथा खसरा नम्बर 217 का रकबा 6.30 है0 है। गत नक्शें की रकबा बरारी के अनुसार वाद का रकबा 1.25है0 की तरमीम शुद्वा है तथा खसरा नम्बर 155/2 की गत नक्शे में 1.50है0 की तरमीम तथा मूल खसरा नम्ब 155 का रकबा शेष 5. 73 है0 ही बना था। नवीन नक्शें में तरमीम के उपरान्त खसरा नम्बर 155/1 के स्थान पर बने नवीन खसरा नम्बर 216 का रकबा 1.25है0 के बजाय 0.84है0 कर दिया गया तथा खसरा नमबर मूल खसरा नम्बर 155 का रकबा गत रकबा 5.73है0 के मुकाबले रकबा 6.30है0 कायम किया गय है जो कि गत रकबे के मुकाबले 0.57है0 बेशी कायम किया गया है। जो त्रुटिपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि गत खसरा नम्बर 155 (मूल) राजस्थान सरकार के खाते में सरकारी वन था। जो हालिया रिकार्ड में वन विभाग की खातेदारी है। नवीन नक्शें की ट्रेंस प्रति में गत नक्शें के अनुसार लाल स्याही से दुरूस्ती प्रस्तावित है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम श्रीरामगोपालपुरा, पटवार मण्डल नीमला, तहसील आंधी में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 216 के वर्तमान राजस्व नक्शें को साबिक खसरा नम्बर 155/1 के राजस्व नक्शें व खातेदारी के रकबा बरारी कर पुनः तरमीम करने एवं गै0मु0चाह खसरा नम्बर 216/245 को मौका स्थिति अनुसार तरमीम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते हे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकिल करवाया जाकर आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

जमवारामगढ़